## निर्णय बइजलास शुभम चौधरी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

प्रकरण संख्या 37/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

GCMS No. 2024/145

इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ...... .......प्रार्थी

1. श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री हेमराज सैनी निवासी बलरिया दरवाजा चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
2. श्री हेमराज सैनी पुत्र श्री लड्डू लाल निवासी बलरिया दरवाजा चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

.........अप्रार्थी/ऋणी

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

–:: आदेश ::–

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06.11.2020 एवं 21.06.2020 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री हेमराज सैनी निवासी बलरिया चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर की सम्पत्ति पट्टा संख्या 98/86 ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा पंचायत समिति चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसकी सीमाए उत्तर में गली बाद पुख्ता मकान रमेश व दिनेश सैनी, दक्षिण में चरपेटा से खाम मकान रामभजन देवीशंकर शर्मा, पूर्व में रास्ता आम एवं मकान देवीशंकर शर्मा व पश्चिम में चरपेटा से मकान पुख्ता ललित पारीक व बद्रीलाल माली का है, जिसका क्षेत्रफल 224.17 वर्ग गज है, को बंधक रखकर 12,00,000 (बारह लाख रूपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06.02.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने साथ ही दिनांक 01.03.2024 को समाचार पत्र में साया करवाये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि को सुना। पत्रावली का भलीभाँति अवलोकन किया गया।
3. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 01.03.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया साथ ही दिनांक 01.03.2024 को समाचार पत्र में साया करवाया गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नही किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति पट्टा संख्या 98/86 ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा पंचायत समिति चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसकी सीमाए उत्तर में गली बाद पुख्ता मकान रमेश व दिनेश सैनी, दक्षिण में चरपेटा से खाम मकान रामभजन देवीशंकर शर्मा, पूर्व में रास्ता आम एवं मकान देवीशंकर शर्मा व पश्चिम में चरपेटा से मकान पुख्ता ललित पारीक व बद्रीलाल माली का है, जिसका क्षेत्रफल 224.17 वर्ग गज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
4. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
5. आदेश आज दिनांक 13-11-2024 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 17:58:17 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner